वनीय संसाधन

- भारत अपने जैविक विविधता के लिए विश्वप्रसिद्ध है। यहाँ 45000 प्रकार के वनस्पति पायी जाती हैं। इनमें 450 प्रकार के वनस्पतियों का आर्थिक दोहन हो रहा है जबकि 500 प्रकार के वनस्पतियों का आर्थिक दोहन संभव है।
- राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होना चाहिए लेकिन 22.6% भूभाग पर ही वन उपलब्ध है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वनों का योगदान 1.5% है।
- भारत की कई जनजातीय समूह अपने जीवन निर्वाह हेतु वनों पर निर्भर हैं।

प्रत्यक्ष लाभ

1. ईंधन के लिए लकड़ी की प्राप्ति ✓
2. गृह निर्माण, जहाज, रेल स्लीपर, फर्नीचर हेतु इमारती लकड़ियाँ ✓
3. उद्योगों के कच्चा माल — कागज उद्योग, औषधी उद्योग, दियासलाई, श्रृंगार बीड़ी उद्योग, गोंद, रस्सी, प्लाईवुड — उद्योग
4. भारतीय वनस्पति से एलोपैथ, होमियोपैथ, आयुर्वेदिक दवाईयां जैसे — इसबगोल, साबुदाना, पुदीना, नीम, सिनकोना, अल्फाल्फा
5. भारतीय वन जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है —
   मणिपुर के कुकी जनजाति का संपूर्ण जीवन बाँस के इर्द-गिर्द घूमता है
   कोरवा जनजाति ———— साल वृक्ष ————
6. जानवरों व पक्षियों का प्राकृतिक आवास है जिनसे मांस, हड्डी, बाल, खाल प्राप्त किये जाते हैं। ✓
7. पेड़ों पर रेशम, लाख के कीड़े पाले जाते हैं।
8. तारपीन का तेल — चीड़ वृक्ष, शराब — महुआ, कत्था — खैर, बीड़ी पत्ता — तेंदु.
9. पशुओं के चारागाह.

अप्रत्यक्ष लाभ

1. जलवायु को सम बनाने में मदद
2. जलचक्र का प्रमुख घटक.
3. भूमिगत जलस्तर को बनाये रखने में मदद
4. बादलों के निर्माण हेतु आर्द्रता प्रदान करती है
5. तटीय वनस्पति सुनामी लहरों, वायु गति को कमजोर करती है।
6. अपरदन को रोकती

7. भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती है।
8. प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है
9. वनस्पति को पर्यावरण का फेफड़ा कहा जाता है · CO_2 ग्रहण → O_2 उत्सर्जन
10. ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण की समस्या को कम
11. भूमि के अंदर दबकर कोयला & पेट्रोलियम का निर्माण
12. मरुस्थलीकरण, हिमस्खलन, भूस्खलन को कम
13. कृषि में प्रयुक्त अनेक पूरक वस्तुओं की आपूर्ति
14. वनस्पति पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की एक महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करती है — खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल

समस्याएँ

1. वन कटाई की समस्या — भारत में प्रतिवर्ष 5000 हे० भूमि के वन काटे जा रहे हैं
   — ईंधन की लकड़ी, फर्नीचर, उद्योगों का कच्चा माल.
2. एक स्थान पर एक ही प्रजाति के वृक्षों का अभाव.
   — संसाधनात्मक दृष्टिकोण से कोणधारी वन का अधिक महत्व है लेकिन विविध प्रकार के वृक्ष एक साथ मिलने के कारण — एक वृक्ष को काटने के लिए पहले कई छोटे-छोटे वृक्षों को काटा जाता है
3. अतिचराई की समस्या — शिवालिक प्रदेश — बकरी & भेड़ — छोटे वृक्ष नष्ट.
4. कीट एवं अन्य प्रकार के बीमारियों की समस्या —
   — प्रत्येक वर्ष लाखों वृक्ष कीट + बीमारी — नष्ट.
   — 60 के दशक में कीटों का प्रकोप नारियल के पेड़ों पर होने के कारण उड़ीसा नारियल पेड़ काटना पड़ा.
   — 90 के दशक में MP के साल वृक्ष पर ट्री बोरर नामक कीड़े के आक्रमण — 10 लाख साल वृक्ष काटे गए.
5. दावानल की समस्या — झूम कृषि, बिजली का गिरना, सैनिक फायरिंग रेंज का निर्माण, घने जंगली क्षेत्रों में पर्यटकों की गतिविधियाँ, खनन कार्य,
   — मध्य भारत एवं पूर्वोत्तर — अधिक
6. झूम कृषि की समस्या — म० भारत + पूर्वोत्तर भारत.
7. जीव जंतुओं की ह्रास की समस्या
   — पहले हिंसक पशुओं के डर से मानव घने जंगलों में प्रवेश नहीं करते थे जिसके कारण वन सुरक्षित रहते थे लेकिन अत्याधुनिक हथियार के माध्यम से मांसाहारी ...

8. कृषि क्षेत्र का विस्तार — बढ़ती जनसंख्या।
— तराई क्षेत्र में थारू जनजाति - जंगलों को साफ कर कृषि कार्य

7. प्रशासनिक भ्रष्टाचार व्यवस्था
— जंगलों की सुरक्षा हेतु प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है
लेकिन ये तंत्र ठेकेदारों, जंगलमाफियों, तस्करों से
मिलकर — जंगल के विनाश में संलग्न —

ों का संरक्षण

ों के संरक्षण हेतु कई संस्थागत एवं संरचनात्मक उपाय किये गए हैं ताकि भारतीय वनों
[illegible] गुणात्मक एवं मात्रात्मक दृष्टि से संरक्षित रखा जाए —

संविधान के अनु० (48(A)) — राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा उसमें सुधार करेगा
और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।
51(A) — मौलिक कर्तव्य — प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य
है कि वह वन एवं पर्यावरण का संरक्षण करे

1980 में वन संरक्षण अधिनियम — प्रावधान — वनीय भूमि को गैर वनीय भूमि में
नहीं बदला जा सकता है।
— 1988 में इसमें संशोधन — जोड़ा गया कि अगर व्यक्ति या संस्था गैर कानूनी तरीके
से वनों की कटाई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी

वनों के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण का गठन किया गया
तथा उसके नीचे पदानुक्रमिक प्रशासनिक व्यवस्था सक्रिय रही है।
D.F.O. जिला का सबसे बड़ा वनीय पद।

वन विभाग द्वारा बंजर भूमि पर वन लगाने का कार्यक्रम चला रहे हैं:
• जंगलों में चराई पर रोक
• 1976 झूम कृषि निरोधक कानून का निर्माण कर झूम कृषि पर प्रतिबंध

जंगलों पर ईंधन लकड़ी की निर्भरता घटाने हेतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास
किया जा रहा है — गोबर गैस, सौर ऊर्जा, LPG, जैव ईंधन, जलविद्युत, तापविद्युत
पर निर्भरता बढ़ायी जा रही है

वन विभाग जंगल के इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को जागरूक बना रहे हैं
ताकि वनों के प्रति संवेदनशील बन सके।

सरकार परती भूमि पर वनों के विकास हेतु सामाजिक वानिकी, नगरीय
वानिकी, क्षतिपूर्ति वानिकी, कृषि वानिकी जैसे कार्यक्रम चला रही है।

8. राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के द्वारा चिपको आंदोलन
'इस आंदोलन के प्रणेता :- सुंदर लाल बहुगुणा थे।

9. दावानल की समस्या से बचने के लिए जंगलों में वाचिंग टॉवर, अग्निशमन इत्यादि का प्रबंध किया गया है

10. वन संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने हेतु वन महोत्सव, वन दिवस सार्वजनिक स्थानों वनों से संबंधित स्लोगन लिखा बोर्ड

11. वृक्षों को बीमारियों से बचाने हेतु वन क्लिनिक का निर्माण कृत्रिम उपग्रहों से रुग्ण वृक्षों की पहचान कर इलाज

12. वन अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु देहरादून में वन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

13. वनों के संरक्षण हेतु जैव मंडल का निर्माण किया गया है

14. वनीय जीवों के ह्रास रोकने हेतु शिकार पर रोक तथा इनके संख्या को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय पार्क का निर्माण किया गया है

15. भारत सरकार ने 1996 के बाद वनीय कटाई से संबंधित किसी भी प्रकार के लाइसेंस निर्गत करना बंद कर दिया है। तथा विकासात्मक कार्यों हेतु अगर वृक्ष काटना अनिवार्य हो तो वन विभाग से अनुमति लेना आवश्यक बना दिया गया है।

16. प्रत्येक राज्य में जीन बैंक की स्थापना की जा रही है ताकि विभिन्न प्रकार के वृक्षों के जीनों को न केवल सुरक्षित रखा जा सके बल्कि उनका पुनर्विकास भी किया जा सके।

17. वनों को पुनर्जीवित करने हेतु नौ राज्यों में विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया वन अग्नि नियंत्रण परियोजना

18. लकड़ी पर आश्रित उद्योगों पर कड़ी निगरानी

19. लकड़ी के फर्नीचर पर निर्भरता घटाने

दावानल

कारण

1. झूम कृषि के कारण
2. पेड़ों के टहनियों के रगड़ खाने से चिनगारी उत्पन्न
3. पहाड़ों के ऊपर से पत्थर गिरने से — स्पर्श
4. खनन कार्य — खदानों में आग → जंगल में आग
5. तड़ित झंझा गिरने
6. पर्यटकों के क्रियाकलाप - बीड़ी, सिगरेट, पिकनिक मनाने, खाना बनाने
7. जंगलों में ज्वलनशील प्रकार के पौधे पाये जाते हैं जो सूर्य के अत्यधिक ताप से भी आग पकड़ लेती हैं — पलास का पत्ता स्वतः आग पकड़ लेता है।
जंगली क्षेत्रों में हाई वोल्टेज बिजली के तार गुजरने से तथा उनमें स्पार्किंग होने से
सैनिक फायरिंग रेंज का निर्माण — फायरिंग होने से चिनगारी
पतझड़ ऋतु में पौधे पत्तियाँ गिरा देती हैं — आस पास के लोग आग लगाकर साफ करते हैं — महुआ चुनते हैं।

उपाय

1976 - झूम कृषि निरोधक कानून को कठोरता से लागू
मानवीय अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि जंगली क्षेत्रों में जाकर गलत गतिविधियाँ न करें
खनन क्षेत्रों में लगी आगों पर त्वरित नियंत्रण करें
हाईवोल्टेज तारों के बीच दूरी बढ़ाकर
सैनिक फायरिंग स्टेशन का निर्माण नहीं — यदि होती है तो अग्निशमन की व्यवस्था।
पर्यटकों पर - पिकनिक पर रोक —
जंगलों के भीतर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना।